"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अगस्त 2015 — श्रावण 12, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक 7493/2548/21-ब/छ.ग./2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-दो में,-

(एक) शीर्षक में, अंक एवं शब्द "विभागीय प्रतियोगी परीक्षा तीन प्रश्नपत्रों में, प्रत्येक के लिये समय-2 घण्टे" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा 2 प्रश्नपत्रों में, प्रत्येक के लिये 3 घण्टे," प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) सरल क्रमांक (एक) के मद (क) में, शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 12 सन् 2012)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-तीन में,-

(एक) शीर्षक के उप-शीर्षक में, शब्द "प्रतियोगी परीक्षा" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "2 प्रश्नपत्रों में, प्रत्येक के लिये 3 घण्टे" अंत:स्थापित किया जाये.

AUG-05-2015 11:10 From: To:07752241031 P.1

(दो) सरल क्रमांक (एक) के मद (क) में, शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 12 सन् 2012)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) सरल क्रमांक (तीन) में, शब्द, चिन्ह एवं अंक "मौखिक - 20 अंक" के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण :-

(एक) यदि लिखित एवं मौखिक परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने लिखित परीक्षा में अधिक अंक अभिप्राप्त किये हों, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

(दो) यदि लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंक भी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विधि उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक अभिप्राप्त किये हों, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

(तीन) यदि विधि उपाधि परीक्षा में अभिप्राप्त अंक भी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने प्रथम स्नातक परीक्षा में उच्चतम अंक अभिप्राप्त किये हों, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

(चार) यदि प्रथम स्नातक परीक्षा में अभिप्राप्त अंक भी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों, जिनका बार एसोसिएशन में पंजीयन की तारीख, पूर्ववर्ती समय का हो, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

(पांच) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी, उपरोक्त समस्त गणनाओं पर समान स्थिति में हों, तो ऐसे अभ्यर्थी, जो आयु में वरिष्ठ हो, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

(छः) जहां दो या अधिक अभ्यर्थी, उपरोक्त उल्लिखित समस्त गणनाओं में हों, तो ऐसे अभ्यर्थी, जिसने पूर्ववर्ती समय (अर्थात् उत्तीर्ण होने का वर्ष) में, विधि उपाधि अभिप्राप्त किया हो, को मेरिट के क्रम में अधिमान्यता दी जायेगी.

No. 7493/2548/21-B/C.G./2015.— In exercise of powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. The second proviso to clause (c) of sub-rule (1) of rule 5 shall be omitted.

2. In Schedule-II,-

   (i) In the heading, for the figures and words "Competitive departmental examination for the examination of 3 papers of 2 hours each", the figures and words "Departmental limited competitive examination of 2 papers of 3 hours each" shall be substituted.

   (ii) In Item (A) of serial number 1, for the words and figures, "The Chhattisgarh Accommodation Control Act, 1961", the words, figures and symbol "The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 12 of 2012)" shall be substituted.

AUG-05-2015 11:18 From: To:07752241031 P.3

3. In Schedule-III,-

(i) In sub-heading of the heading, after the words "Competitive Examination", the words and figures "of 2 papers of 3 hours each" shall be inserted.

(ii) In Item (A) of serial number I, for the words and figures, "The Chhattigarh Accommodation Control Act, 1961", the words, figures and symbol "The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 12 of 2012)", shall be substituted.

(iii) In serial number III, after the words, symbol and figures "Viva voce -20 Marks", the following shall be added, namely :-

"Explanation.-

(i) In case the aggregate marks obtained in written examination and viva voce are equal, the candidates who have obtained more marks in the written examination. should be given preference in the order of merit.

(ii) In case marks obtained in written examination are also same, then the candidate, who obtained higher marks in Law degree examination, should be given preference in the order of merit.

(iii) In case the marks obtained in the Law degree examination are also the same, then the candidate who obtained higher marks in the First Graduation Examination, should be given preference in the order of merit.

(iv) In case the marks obtained in the First Graduation Examination are also the same then the candidate whose Registration date in the Bar Association is earlier in time, should be given preference in the order of merit.

(v) In case two or more candidates are in equal position on all the above counts, the candidate who is senior in age should be given preferennce in the order of merit.

(vi) In case where on all above mentioned counts two or more candidates stand equal then the candidate who obtains the degree of Law earlier in time (i.e. Year of passing), should be given preference in the order of merit.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015

AUG-05-2015 11:10 From: To:07752241031 P.3